75

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 15–3–16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक अपील 875–एक/16 विरूद्ध आदेश दिकनांक 12–2–16 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण कमांक 266/अ–21/2013–14.

———

संजय सिंह परस्ते उम्र 49 वर्ष पिता
श्री प्रियोत्तम सिंह परस्ते, जाति आदिवासी गौंड
निवासी 227, पुराना, नया 162, सिंह फार्म
आर एफ आर सी सालीवाड़ा मंडल रोड
जबलपुर म0प्र0 ——— अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर म0प्र0 ——— प्रत्यर्थी

15-3-16	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 266/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 12-2-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । प्रकरण दिनांक दिनांक 4-1-16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया जिसको नंबर पर लेने हेतु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 5-2-16 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि समयसीमा व्यतीत हो जाने के बाद और बिना शपथपत्र के आवेदन पेश किया गया है, इस कारण खारिज किया जाता है । यह सही है कि 30 दिवस की अवधि में आवेदन पेश किया जाना चाहिए था जो 2 दिन अधिक विलंब से पेश किया गया है, प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए 2 दिन की अवधि के आधार पर पुर्नस्थापन का आवेदन निरस्त करना न्यायिक एवं औचित्यपूर्ण नहीं है । शपथपत्र प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नहीं ठहराया जा सकता । न्यायदृष्टांत 1982 आर0एन0 110 में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि शपथपत्र के अभाव में न्यायालय को आवेदन खारिज नहीं करना चाहिए, शपथपत्र बाद में भी प्रस्तुत कराया जा सकता । उपरोक्त न्यायदृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उक्त बिंदु के अतिरिक्त प्रकरण के गुणदोष पर भी तर्क किये गये हैं अतः प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर भी किया जा रहा है । प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम बवैया प.ह. नं. 45 रा.नि.मं. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 314 रकबा 3.630 हैक्टर (8.96 एकड़) भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री सौरभ भौमिक पिता श्री सुरंजन भौमिक को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, कुण्डम को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई है । अपीलार्थी को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से अपीलार्थी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय के उपरांत अपीलार्थी के पास 4.200 हैक्टर भूमि शेष बचेगी । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति देने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-2-16 निरस्त किया जाता है एवं यह अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम बवैया प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 314 रकबा 3.630 हैक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री सौरभ भौमिक पिता सुरंजन भौमिक को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

XXXIX(a)BR(H)-11 3-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 875-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	